राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 10, शुक्रवार, शाके 1944-जुलाई 01, 2022
Asadha 10, Friday, Saka 1944- July 01, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 28, 2022

जी.एस.आर.53 :-गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.23(2)चि.एवं स्वा.3/2003/पार्ट दिनांक 23.04.2015 में निम्न संशोधन करती है, अर्थातः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान खण्ड II एवं उसकी प्रविष्टियों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"II उप खण्ड स्तर पर;-

(i) समस्त उपखण्ड अधिकारी (SUB-DIVISIONAL OFFICER) सम्पूर्ण राजस्व उपखण्ड के लिये; तथा

(ii) नीचे दी गयी सारणी के कॉलम 2 में वर्णित राजस्व उपखण्ड क्षेत्र के लिये कॉलम 3 में वर्णित अधिकारीः

[संख्या एफ.23(2)चि. एवं स्वा.3/2003/पार्ट]

राज्यपाल की आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार बंसल,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.

Scanned by CamScanner